

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2018/444


दिनांक: 14.05.2018

आदेश

निम्नांकित अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख स्थान पर एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-


क्र०सं०	नम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1.	श्री हारून खान	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के अधीन
2.	श्री अरुण सक्सैना	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के अधीन
3.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के अधीन
4.	श्री महमूद अली	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के अधीन
5.	श्री श्याम सुन्दर	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय के अधीन
6.	श्री दीपक कुमार सिन्धी	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन
7.	श्री पी०सी० जैन	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के अधीन
8.	श्री रमेश सैनी	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द के अधीन
9.	श्री राजेश टिकर	पदस्थापन की प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर के अधीन
10.	श्रीमति दीपिका तिवाडी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर के अधीन
11.	श्री विनोद थारवान	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझू के अधीन
12.	श्री नरेश चैजारा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड के अधीन

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जाते हैं।


आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. शासन सयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज.जयपुर ।
5. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय ।
6. नोडल अधिकारी (एफएसएसए), मुख्यालय ।
7. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
9. सम्बन्धित अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तुरन्त पालनार्थ ।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली ।



आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर ।